# आईआईटी और एनआईटी में एक साथ होंगे एडमिशन

एजेंसी | नई दिल्ली

आईआईटी और एनआईटी में अब कॉमन काउंसेलिंग से एडमिशन मिलेंगे। यह जवाब मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने दिल्ली हाई कोर्ट में दिया है। व्यवस्था 2015-16 के सत्र से ही लागू होगी। इसके मुताबिक आईआईटी, एनआईटी और सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त तकनीकी संस्थानों में एडमिशन कॉमन काउंसलिंग से होगा।

कोर्ट ने आईआईटी खड़गपुर के प्रोफेसर राजीव कुमार की याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा था। राजीव कुमार ने आईआईटी और एनआईटी में सीटें खाली रहना का मामला उठाया था।

## स्टूडेंट्स को ये फायदा

- पसंद के कोर्स के लिए एक ही फॉर्म भर सकेंगे।
- आईआईटी और एनआईटी को एकसाथ चुन सकेंगे।
- मल्टीपल रैंकिंग सिस्टम के जरिए सीट आवंटित की जाएगी।
- एडमिशन के लिए आईआईटी या एनआईटी से एक ही ऑफर मिलेगा।
- रैंक के हिसाब से एडमिशन मिलेगा। इससे सीटें खाली रहने की समस्या काफी हद तक दूर होगी।
- आईआईटी, एनआईटी सहित 75 इंजीनियरिंग संस्थानों में सिंगल विंडो सिस्टम से एडमिशन दिए जाएंगे।

मामले की अंतिम सुनवाई 8 अप्रैल को होगी। नई प्रक्रिया लागू होने से 15 से 20 दिन में काउंसेलिंग खत्म हो जाएगी।

वर्ष 15 | अंक 320 | अम्बाला महानगर | दैनिक भास्कर समूह | 14 राज्य | 58 सं